हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाएं :–

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अन्तर्गत दी गई परिभाशा के अन्तर्गत सुपरवाईजरी कैटेगरी तक के 15,000 रू0 मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को जिन्होंने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक का पूर्ण देय अंषदान बोर्ड में जमा करवाया हो के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :–

1. मृतक औद्योगिक कामगारों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक मदद :–

यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्श 1976 में आरंभ की गई थी । इसके अतंर्गत श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसकी विधवा या आश्रित को 50,000 रूपये की राषि अदा की जाती है। इस योजना के लिए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित षर्ते निर्धारित की गई हैं:–

1. विधवा का आवेदन–पत्र उसके पति की मृत्यु के दो वर्श के अन्दर–अन्दर क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालय में प्राप्त होना चाहिए।
2. श्रमिक की सेवा संस्था में मृत्यु के समय कम से कम छः मास होनी आवष्यक है।
3. यदि श्रमिक की विधवा के अतिरिक्त कोई आश्रित आवेदन पत्र भेजता है तो उसे मृतक श्रमिक पर आश्रित होने का एफीडेविट भेजना होगा।
4. विधवा / आश्रित को 50,000 रूपये की साक्षांकित अग्रिम रसीद आवेदन पत्र के साथ भेजनी होगी।
5. नियोक्ता श्रमिक की मृत्यु होने का प्रमाण–पत्र देगा।
6. प्रार्थी षपथ–पत्र देगा/देगी कि वह मृतक पर पूर्णरूप से कानूनी तौर पर आश्रित है तथा उसने पहले बोर्ड की उक्त योजना का लाभ नहीं उठाया है ।

2. कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना :–

यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा वर्श 1980 में आरंभ की गई थी । इस योजना का उद्देष्य श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उनके बच्चों को विभिन्न कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा इस योजना में कंप्यूटर एजुकेषन,

नकद पुरस्कार के साथ `वजि `पसससे योजना को भी समायोजित करके छात्रवृत्ति की तीन श्रेणियां निर्धारित करते हुए निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति देने का निर्णय लियाः–

9वीं कक्षा से 10वीं तक	8वीं की परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा 9वीं कक्षा भी निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर 10वीं की कक्षा में छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगी : क) 50 से 60 प्रतिषत तक अंक ख) 61 से 75 प्रतिषत तक अंक ग) 76 प्रतिषत तथा उससे अधिक अंक	लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की राषि क) 2000 रू0 प्रति कक्षा ख) 3000 रू0 प्रति कक्षा ग) 4000 रू0 प्रति कक्षा	लड़कियों को लडकों की अपेक्षा आधा गुणा अधिक दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राषि क) 3000 रू0 ख) 4500 रू0 ग) 6000 रू0
11वीं 12वीं	10वीं की बोर्ड परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा 11वीं कक्षा भी निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर 12वीं की कक्षा में छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगी :– क) 50 से 60 प्रतिषत तक अंक ख) 61 से 75 प्रतिषत तक अंक ग) 76 प्रतिषत तथा उससे अधिक अंक	क) 2500 रू0 प्रति कक्षा ख) 3500 रू0 प्रति कक्षा ग) 4500 रू0 प्रति कक्षा	क) 3750 रू0 ख) 5250 रू0 ग) 6750 रू0
स्नातक डिग्री के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्श के लिए	12वीं की बोर्ड परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा स्नातक डिग्री के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्श की परीक्षा भी निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगीः– क) 50 से 60 प्रतिषत तक अंक ख) 61 से 75 प्रतिषत तक अंक ग) 76 प्रतिषत तथा उससे अधिक अंक	क) 3000 रू0 प्रति कक्षा ख) 4000 रू0 प्रति कक्षा ग) 5000 रू0 प्रति कक्षा	क) 4500 रू0 ख) 6000 रू0 ग) 7500 रू0

स्नातकोत्तर डिग्री के प्रथम तथा द्वितीय वर्श के लिए	स्नातक की डिग्री निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा स्नातकोत्तर डिग्री के प्रत्येक वर्श की परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगी :– क) 50 से 60 प्रतिषत तक अंक ख) 61 से 75 प्रतिषत तक ग) 76 प्रतिषत तथा उससे अधिक	क) 4000 रू0 प्रति कक्षा ख) 5000 रू0 प्रति कक्षा ग) 6000 रू0 प्रति कक्षा	क) 6000 रू0 ख) 7500 रू0 ग) 9000 रू0
स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स के प्रत्येक वर्श के लिए	स्नातक की डिग्री निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के प्रत्येक वर्श की परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगी :– क) 50 से 60 प्रतिषत तक ख) 61 से 75 प्रतिषत तक ग) 76 प्रतिषत तथा उससे अधिक	क) 4000 रू0 प्रति वर्श ख) 5000 रू0 प्रति वर्श ग) 6000 रू0 प्रति वर्श	क) 6000 रू0 ख) 7500 रू0 ग) 9000 रू0
मैडीकल डिग्री (एम बी बी एस/बी डी एस) के प्रत्येक वर्श के लिए	12वीं की बोर्ड परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा (एम बी बी एस/बी डी एस)के प्रत्येक वर्श की परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगी :– क) 50 से 60 प्रतिषत तक ख) 61 से 75 प्रतिषत तक ग) 76 प्रतिषत तथा उससे अधिक	क) 6000 रू0 प्रति वर्श ख) 7000 रू0 प्रति वर्श ग) 8000 रू0 प्रति वर्श	क) 9000 रू0 ख) 10500 रू0 ग) 12000 रू0
बी. एस. सी नर्सिंग डिग्री के प्रत्येक वर्श के लिए	12वीं की बोर्ड परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा बी0 एस0 सी0 नर्सिंग डिग्री के प्रत्येक वर्श की परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगी :– क) 50 से 60 प्रतिषत तक	क) 4000 रू0 प्रति वर्श ख) 5000 रू0 प्रति वर्श	क) 6000 रू0 ख) 7500 रू0

	ख) 61 से 75 प्रतिषत तक ग) 76 प्रतिषत तथा उससे अधिक	ग) 6000 रू0 प्रति वर्श	ग) 9000 रू0
इंजिनिरिंग डिग्री के प्रत्येक वर्श के लिए	12वीं की बोर्ड परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा इन्जी0 डिग्री के प्रत्येक वर्श की परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगी :– क) 50 से 60 प्रतिषत तक ख) 61 से 75 प्रतिषत तक ग) 76 प्रतिषत तथा उससे अधिक	क) 5000 रू0 प्रति वर्श ख) 6000 रू0 प्रति वर्श ग) 7000 रू0 प्रति वर्श	क) 7500 रू0 ख) 9000 रू0 ग) 10500 रू0
टेकनिकल डिप्लामा 10 वीं व 12वीं कक्षा के बाद के प्रत्येक वर्श के लिए	10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रत्येक वर्श में निम्न अंक तालिका अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा कोर्स के प्रत्येक वर्श की परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगी :– क) 50 से 60 प्रतिषत तक ख) 61 से 75 प्रतिषत तक ग) 75 प्रतिषत से अधिक	क) 4000 रू0 प्रति वर्श ख) 5000 रू0 प्रति वर्श ग) 6000 रू0 प्रति वर्श	क) 6000 रू0 ख) 7500 रू0 ग) 9000 रू0
आई. टी. आई. डिप्लोमा कोर्स 10वीं व 12वीं कक्षा के बाद के प्रत्येक वर्श के लिए	10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रत्येक वर्श में निम्न अंक तालिका अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करना आधार होगा तथा कोर्स के प्रत्येक वर्श की परीक्षा निम्न अंक तालिका अनुसार उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति जारी रखी जायेगी :– क) 50 से 60 प्रतिषत तक ख) 61 से 75 प्रतिषत तक ग) 75 प्रतिषत तथा उससे अधिक	क) 3000 रू0 प्रति वर्श ख) 4000 रू0 प्रति वर्श ग) 5000 रू0 प्रति वर्श	क) 4500 रू0 ख) 6000 रू0 ग) 7500 रू0

उक्त के अतिरिक्त राश्ट्रीय/अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्बंधित वर्श में छात्रवृत्ति उनके अंकों की प्रतिषतता की विचारे बगैर ही प्रदान की जाती है ।

<u>पात्रता</u> :–

1. इस योजना के लाभ हेतु आवेदन–पत्र बोर्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है । 31 दिसम्बर के बाद की तिथि में प्रस्तुत केसों पर विचार नही किया जायेगा ।
2. श्रमिक औद्योगिक संस्था में पिछले एक वर्श से कार्यरत हो
3. पत्राचार द्वारा पढ़ाई करने वाले छात्र इस योजना के लाभ के पात्र नही होंगे ।
4. यदि किसी श्रमिक का बच्चा किसी अन्य विभाग या एजैंसी से छात्रवृत्ति की राषि प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं होगा ।
5. यदि कोई छात्र झूठा प्रमाण–पत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उसको छात्रवृत्ति नही दी जायेगी और दी गई छात्रवृति की राषि वापिस ले ली जायेगी
6. जो छात्र स्वय रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अंतर्गत कवर नही होंगे।
7. श्रमिक के तीन बच्चों तक ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा तथा लड़की होने की स्थिति में सभी लड़कियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा बषर्ते श्रमिक के कोई लड़का न हो ।
8. जिन श्रमिकों के बच्चे 8वीं की परीक्षा सी0बी0एस0ई0 या आई0सी0एस0ई0 की परीक्षा स्कूल स्तर से पास करते हैं उन्हें भी इस योजना में षामिल कर लिया गया है ।
9. छात्र/छात्रा द्वारा साक्षांकित अग्रिम रसीद, आगे पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ भेजना होगा ।
10. श्रमिकों के वे बच्चे जो किसी कारणवष पढ़ाई छोड़ देते हैं और पुनः पढ़ाई जारी रखते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा । श्रमिकों के जो बच्चे हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ाई जारी रखे हों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।

3. <u>कामगारों की लडकियों की षादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता योजना</u> :–

यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्श 2002 में आरंभ की गई थी। श्रमिक वर्ग की लड़कियों की षादी पर (कन्यादान सहायता) नामक योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत कन्या को विवाहोत्सव पर कन्यादान स्वरूप 21,000 रूपये प्रदान करना है । इस योजना का लाभ श्रमिक को उसकी केवल 2 कन्याओं के विवाह तक ही दिया जायेगा । इस योजना के लागू होने से एक तो लड़की को समाज में बोझ नही माना जायेगा तथा लड़के–लड़की के भेदभाव को भी कुछ सीमा तक कम किया जा सकेगा । इस सहायता का कामगार द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर कोई प्रभाव नही होगा ।

इस योजना के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित षर्तें पूर्ण करने पर कन्यादान का लाभ दिया जाता है :–

1. श्रमिक को निर्धारित आवेदन फार्म षादी की तिथि तक जमा करना होगा । षादी के तिथि से पूर्व एवम् षादी के तीन माह बाद तक के आवेदन–पत्र पर भी विचार किया जाएगा।
2. श्रमिक की सेवा अवधि सम्बंधित संस्था में कम से कम 5 वर्श होनी चाहिए ।
3. विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्श होना अनिवार्य है ।
4. लड़की की आयु के संबंध में स्कूल/रजिस्ट्रार, जन्म तथा मृत्यु द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
5. कन्यादान की राषि का चैक/ड्राफट लड़की के पिता/माता के पक्ष में डाक द्वारा भेजा जायेगा ।
6. कामगार 21,000 रूपये की साक्षांकित अग्रिम रसीद भी कार्यालय में आवेदन–पत्र के साथ भेजेगा।
7. कामगार यह षपथ–पत्र देगा कि उसने आवेदित कन्यादान की राषि बोर्ड से पहले कभी नहीं लिया तथा वर्तमान आवेदित कन्या प्रथम/द्वितीय कन्या ही है ।

4. <u>औद्योगिक कामगारों को चष्मों के लिए वित्तीय सहायता देना</u> :–

यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्श 1989 में आरंभ की गई थी। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा उन औद्योगिक श्रमिकों को जिनकी आंखों की दृश्टि कमजोर हो जाती है उन्हें 500 रू0 की राषि चष्में खरीदने के लिए दी जाती है। यदि चष्में की कीमत 500 रू0 से कम हो तो चष्में की वास्तविक कीमत श्रमिक को अदा की जाती है तथा इस योजना का लाभ श्रमिक के परिवार व आश्रित को भी दिया जाता है।

<u>पात्रताः</u>

1. श्रमिक के परिवार के सदस्य/आश्रित के रूप में आवेदन करने पर श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा ।
2. श्रमिक ने राषन कार्ड की साक्षांकित प्रति भी आवेदन–पत्र के साथ भेजनी होगी ।
3. श्रमिक की सेवा अवधि सम्बन्धित संस्था में कम से कम 1 वर्श होनी चाहिए ।
4. इसके लिए प्रार्थी को अपना आवेदन–पत्र, डाक्टरी प्रमाण–पत्र तथा चष्में खरीदने की रसीद साथ भेजनी होगी ।
5. श्रमिक / श्रमिक के परिवार के सदस्य द्वारा 500 रू0 की चष्में की साक्षांकित अग्रिम रसीद भी साथ भेजनी होगी ।
6. श्रमिक यह षपथ–पत्र भी देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नही लिया ।

7. चष्में खरीदने व डाक्टर की प्रेसक्रिप्षन की तिथि से तीन मास के अन्दर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

5. **ज्ञान एवं आनन्द भ्रमण की योजना** :–

यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्श 1989 में आरंभ की गई थी । हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड ने ज्ञान एवं आनन्द भ्रमण की योजना चलाई हुई है । इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को औद्योगिक, ऐतिहासिक, दार्षनिक स्थानों का भ्रमण करवाने के लिए ले जाया जाता है तथा श्रमिकों को हरियाणा रोड़वेज़ की तर्ज पर 50 पैसे प्रति कि0 मी0 प्रति सवारी के रूप में फ्लैट दर से किराया व भारतीय रेल द्वारा यात्रा करने पर श्रमिकों को रेल के साधारण किराये के अतिरिक्त स्लीपर के रिजर्वेषन चार्जिज सहित अदा किए जाएँगे । उक्त योजना के तहत भारतीय रेल/रोड़वेज/पब्लिक अंडरटेकिंग व प्राईवेट साधन से यात्रा की जा सकती है। जिसकी पात्रता के लिए निम्नलिखित षर्ते निर्धारित की हुई हैं :–

1. आनन्द भ्रमण के लिए एक श्रमिक भी भ्रमण पर जा सकता है।
2. यदि एक श्रमिक एक बार इस सुविधा का लाभ उठायेगा तो उसको 4 वर्श तक दोबारा लाभ नही दिया जाएगा ।
3 श्रमिक की सेवा अवधि संस्था में आवेदन के समय एक वर्श की होनी चाहिए ।
4. आनन्द भ्रमण स्कीम का समय 10 दिन से अधिक नही होना चाहिए ।
5. श्रमिक के अतिरिक्त उसके परिवार के 4 सदस्य भ्रमण पर जा सकते हैं ।
6 भ्रमण पर जाने वाला श्रमिक यात्रा के दिन सम्बन्धित संस्था का कर्मचारी होना आवष्यक है
7. भ्रमण के चुनाव में अधिक सेवा तथा कम वेतन पाने वाले श्रमिक को प्राथमिकता दी जायेगी
8. सम्बन्धित श्रमिक द्वारा पूर्ण कागजात सहित (आने व जाने की मूल टिकटे) भ्रमण की तिथि से पूर्व व उपरांत भी तीन मास तक जाने से पहले व बाद में स्थानीय श्रम कार्यालय से श्रम निरीक्षक की रिपोर्ट सहित बोर्ड के मुख्यालय को भेजनी अनिवार्य होगी ।
9. सभी यात्री संयुक्त रूप से यह षपथ–पत्र भी बोर्ड को देंगे कि वह यात्रा अपने जोखिम ;त्पेाद्ध पर करेगें और किसी अप्रिय घटना पर बोर्ड से कोई क्लेम नहीं करेगें।
10. संस्था द्वारा हायर की गई बस या अन्य वाहन के नैषनल या स्टेट परमिट की साक्षांकित फोटो प्रति यात्रा की पुश्टी हेतु प्रस्तुत करनी आवष्यक है ताकि पता चल

सके कि जो यात्रा का वाहन राज्य या राज्य से बाहर के लिए हायर किया गया है वह वास्तव में वर्णित उद्देष्य के लिए प्रयोग किया गया है तथा वैध है।

11 यात्रा पर जाते समय रास्ते में कमचंतजनतम व ंततपअंस चसंबम के निकटतम स्थान पर लगने वाले टोल टैक्स की पर्चियों की संस्था द्वारा साक्षांकित प्रतियां भी यात्रा की पुश्टी हेतु प्रस्तुत करनी जरूरी हैं ताकि पता चल सके कि यात्रा वर्णित वाहन द्वारा ंततपअंस चसंबम तक का रास्ता वास्तव में तय किया गया है ।

12ए क्मचंतजनतम चसंबम व ंततपअंस चसंबम के निकटतम स्थान पर यात्रा के वाहन द्वारा तेल इत्यादि डलवाने के बिल की छाया प्रति भी यात्रा के स्थानों की पुश्टी हेतु देनी होगी ।

13. यात्रा के कमचंतजनतम स्थान व पहुंचने के स्थान का यात्रा के वाहन सहित श्रमिकों का ग्रुप फोटो जिसमें वाहन का नम्बर भी दर्षित हो प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त उद्देष्य हेतु खिंचवाए गए फोटो के बिल की अदायगी भी संस्था को बोर्ड द्वारा कर दी जाएगी ।

14. श्रमिकों की यात्रा के दौरान ंततपअंस चसंबम पर धर्मषाला/होटल इत्यादि में ठहरने के प्रमाण की प्रति भी किराये की अदायगी हेत देनी होगी ।

15. प्रभावित यात्रा के ीवतजमेज कपेजंदबम का प्रमाण–पत्र भी संस्था से प्राप्त करने व यदि संभव हो तो इंटरनैट साईट से प्रमाण–पत्र में दर्षाये गये कि0मी0 की वैरीफिकेषन उपरान्त तदानुसार किराए की अदायगी की जाएगी ।

6. धार्मिक स्थानों पर भ्रमण योजना :–

श्रमिकों को हरिद्वार, ऋशिकेष, अजमेर, अमृतसर व माता वैश्णों देवी मंदिर में चार दिनों तक ठहरने हेतु 50 रू0 प्रति दिन प्रति सदस्य या पूर्ण परिवार को 250 रू0 प्रति दिन की दर में से जो भी न्यूनतम राषि बने, वह कर्मकार व उसके परिवार के चार सदस्यों तक बोर्ड द्वारा अदा की जाएगी तथा भ्रमण स्थान तक आने–जाने का किराया ज्ञान एवं आनन्द भ्रमण योजना की षर्तों अनुसार ही अदा किया जाएगा । उक्त योजना वर्श 2007 में संचालित की गई है । उक्त योजना के अन्तर्गत एक श्रमिक भी धार्मिक स्थानों के भ्रमण पर जा सकता है ।

7. औद्योगिक कामगारों की सेवा के दौरान दुर्धटना में अपंगता होने पर सहायता के रूप में नकद राषिः–

यह योजना वर्श 1992 में आरंभ की गई । इस योजना के अंतर्गत उन औद्योगिक कामगारों को जिनकी डयूटी के दौरान किसी भी दुर्घटना में अपंगता हो जाती है को मैडीकल बोर्ड/ई0एस0आई0 द्वारा अपंगता प्रमाण–पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्श

के अन्दर–अन्दर आवेदन करने पर प्रतिषतता के आधार पर निम्न प्रकार से नकद सहायता दी जाती है :–

क्रम संख्या	अपंगता की श्रेणी	वित्तीय सहायता की राषि
1.	डपदवत कपेंइपसपजल (50 : तक की पदरनतलद्ध	10000 रू0
2.	डंरवत कपेंइपसपजल (50 : से ऊपर की पदरनतलद्ध	15000 रू0

8. <u>मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना</u> :–

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के सम्मान हेतु उत्तम कामगार को मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार प्रदान करने संबंधी योजना वर्श 2002 से संचालित की जा रही है। यह पुरस्कार प्रदेष के उन कामगारों को दिया जायेगा जो उच्च कार्यकुषलता, अनुषासन एवं सामाजिक दायित्यों के निर्वाण में उल्लेखनीय योगदान करेंगे। इन्हे पुरस्कृत करने से जहां इनकी पहचान स्थापित होगी वहीं सहयोगी कामगारों को भी इस प्रकार का कार्य करने हेतु प्ररेणा मिलेगी । इससे प्रदेष में औद्योगिक षान्ति को भी बल मिलेगा । इस योजना को निम्न प्रकार से संषोधित किया गया है :–

क्रम संख्या	पुरस्कार का षीर्शक	पुरस्कारों की राषि	विवरण
1.	मुख्य मन्त्री श्रम रत्न पुरस्कार	1,00,000 रू0	पूर्ण राज्य में केवल एक
2.	हरियाणा श्रम भूशण पुरस्कार	50,000 रू0	पूर्ण राज्य में केवल दो
3.	हरियाणा श्रम वीर पुरस्कार	20,000 रू0	राज्य के हर जिले से एक–एक
4.	हरियाणा श्रम वीरांगना पुरस्कार	20,000 रू0	तदैव

उक्त सभी पुरस्कार कामगार पुरूशों के साथ–साथ महिला कामगारों को भी दिए जाएंगे ।

<u>पुरस्कार के लिए पात्रता</u>:–

इन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए योग्यता तथा परफारमैंस के निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

1. इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए वही कर्मचारी हकदार होगें जिनका पूर्व कलैन्डर वर्श में कार्य निशपादन का रिकार्ड उल्लेखनीय रहा हो ।
2. उच्च स्तर की कार्यनिश्ठा रखते हों ।
3. जिन्होंने उत्पादकता के क्षेत्र में विषिश्ठ योगदान किया हो ।
4. जिनकी प्रमाणित अभिनव योग्यताएं सिद्ध हो चुकी हो तथा कुषाग्र बुद्धि व असाधारण साहस रखते हों
5. ये पुरस्कार उन कर्मचारियों को भी दिए जा सकते हैं जिन्होंने अपने कर्त्तव्य के निश्ठापूर्वक निशपादन में अपने जीवन तक का बलिदान दे कर उच्चतम त्याग किया हो ।
6. इन पुरस्कारों को प्रदान करते समय ऐसी महिला तथा विकलांग कर्मचारियों को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जिन्होंने विनिर्दिश्ट क्षेत्रों में उत्कृश्ठ योगदान किया हो।

<u>पुरस्कार के लिए निर्धारित अन्य षर्ते</u> :–

1. अनुषासित/कुषल/सामान्य अच्छा व्यवहार/नियमितता तथा राश्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेलों में उपलब्धि अनिवार्य होगी ।
2. कर्मचारी को औद्योगिक सुरक्षा तथा फायर फाइटिंग नियमों का ज्ञान हो ।
3. कर्मचारी से आवेदन केवल संस्था के माध्यम से ही स्वीकारा जायेगा ।
4. कुल 45 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार महिला कामगारों तथा 5 पुरस्कार विकलांग कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगें । इन श्रेणी के कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में आरक्षित पुरस्कार सामान्य कामगारों को प्रदान किए जाएगें ।
5. पूर्ण कार्यकाल में कर्मचारी को केवल एक बार ही एक प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा ।
6. पुरस्कार हेतु श्रमिक के चयन उपरांत मृत्यु होने की स्थिति में पुरस्कार की राषि मृतक कर्मचारी के कानूनी आश्रित को देय होगी ।
7. कर्मचारी के विरूद्व अनुषासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो ।
8. डयूटी से गैरहाजिर रहने वाले श्रमिकों को पुरस्कार हेतु नही स्वीकारा जायेगा।
9. कर्मचारी का कार्यकाल संबंधित संस्था में कम से कम तीन वर्श का हो ।
10. कर्मचारी समझौता प्रवृति का हो तथा उसने कर्मचारियों /संस्थाओं के सामान्य औद्योगिक विवादों का समाधान करवाया हो ।
11. कर्मचारी के विरूद्व ''**मोरल टर्पीच्यूड**'' या अपराधिक मामला दर्ज न हो ।
12. नियोक्ता कर्मचारी का आवेदन निर्धारित फार्म पर कर्मचारी के सुपरवाईजर तथा पर्सनल मैनेजर/कारखाना मैनेजर आदि की सिफारिष समेत कामगार के कार्य, व्यवहार, कार्य कुषलता, अनुषासन, ईमानदारी, सेहत, कर्तव्यपरायणता, वार्शिक हाजरी, संस्थान के प्रति निश्ठा, असाधारण उत्साह, कुषाग्र बुद्धि व असाधारण साहस तथा संस्था के उत्पादन में कामगार द्वारा दर्षाई गई विषेश वृद्धि आदि बिन्दुओं को तथ्यों सहित अंकित करेगा । नियोक्ता द्वारा श्रमिक को अच्छे कार्य के प्रति उसके अपने

स्तर पर प्रदान किया गया प्रोत्साहन (वेतन वृद्धि या पुरस्कार) आदि का विवरण आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

13. आवेदन पत्र प्राप्त होने उपरांत चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर वर्णित प्रत्येक आवेदन पर मूल्यांकन अंक प्रदान किए जाएंगे तथा कुल मूल्यांकन अंकों की अधिकतम संख्या पुरूशों के आवेदन की स्थिति में 35 तथा महिलाओं के आवेदन की स्थिति में 40 प्रति आवेदन होगी । जिस आवेदक के मूल्यांकन अंक तुलनात्मक दृश्टि से अधिक होंगे उसी आवेदक का नाम पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा :–

क्रम संख्या	बिन्दु का षीर्शक	मूल्यांकित अंकों की सीमा
1.	पूर्व कैलेन्डर वर्श में अधिकतम वार्शिक हाजरी	05 अंक तक पुरूशों के लिए तथा 08 अंक तक महिलाओं के लिए
2.	उत्पादन बढाने में योगदान	05 अंक तक पुरूशों के लिए तथा 07 अंकों तक महिलाओं के लिए
3.	बहादुरी का कोई विषेश सराहनीय कार्य	04 अंक तक
4.	सेवाकाल के दौरान प्राप्त की गई पदोन्नतियां	03 अंक तक
5.	खेलों में राश्ट्रीय/राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा (प्रमाण सहित)	03 अंक तक
6.	सेवाकाल के दौरान उच्च षिक्षा प्राप्त करना	03 अंक तक
7.	प्राथमिक चिकित्सा (फस्ट एड) प्रषिक्षण तथा औद्योगिक सुरक्षा तथा फायर फाइटिंग नियमों का ज्ञान तथा योगदान	02 अंक तक
8.	सेवाकाल के दौरान किये गये कोर्स तथा सैमीनार अटैंड करना	02 अंक तक
9.	सेवाकाल के दौरान प्राप्त विषेश वेतन वृद्धि या पुरस्कार	02 अंक तक
10.	कोई विषेश ईमानदारी/सामाजिक कार्य	02 अंक तक
11.	सेहत की स्थिति	02 अंक तक
12.	अनुषासन तथा कर्तव्य परायणता	02 अंक तक

<u>पुरस्कार प्रदान करने के लिए सिफारिषः–</u>

(क) संस्था प्रत्येक वर्श के आरम्भ में अपने श्रमिकों के आवेदन–पत्र पुरस्कारों हेतु क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्तों के कार्यालय में 31 मई तक प्रस्तुत करेगी । संस्था निर्धारित प्रोफार्मा में कामगारों की पिछले कलैन्डर वर्श की उपलब्धियों का बखान करेगी ।

(ख) सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त प्रार्थना पत्रों को अपनी सिफारिषें सहित मुख्यालय को 30 जून तक प्रेशित करेगा ।

(ग) मुख्यालय अपनी सिफारिषे कमेटी को 15 जुलाई तक प्रस्तुत करेगा ।

(घ) कमेटी आवेदनों को जांच तथा प्रत्येक पहलू पर संतुश्टि उपरांत प्रार्थियों के चयन की सूचि को 5 अगस्त तक अन्तिम रूप देगी तथा उसके बाद पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा ।

9 . <u>राज्य में श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना</u> :–

यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्श 1980 में आरंभ की गई थी । औद्योगिक श्रमिकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ बनाने तथा उनके बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तकनीकि षिक्षा व मनोरंजन के साधन प्रदान करने के लिए श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों में कामगारों के परिवार के सदस्यों को सिलाई, कटाई, कढाई आचार बनाने, जैम बनाने, मोमबत्ती बनाने तथा मेंहदी लगाने आदि का प्रषिक्षण दिया जाता है । इस योजना में मोबाईल रिपेयर, यू0 पी0 एस0 रिपेयर आदि श्रवइ व्तपमदजमक प्रषिक्षण को भी सम्मिलित कर लिया गया है । इस समय हरियाणा राज्य में फरीदाबाद, धारूहेड़ा, बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, चरखी दादरी (भिवानी), जगाधरी और पंचकूला में दस श्रम कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे हैं ।

10 . <u>श्रमिकों को नयी साईकल खरीदने पर बोर्ड की तरफ से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे</u> :–

छोटे वर्ग के ऐसे श्रमिकों जिनका मासिक वेतन 5000 रू0 या इससे कम है को बोड़ की तरफ से 2500 रू0 (दो हजार पांच सौ रूपये) तक की कीमत की साईकल एटलस कम्पनी आदि से उपलब्ध करवायी जाएगी। उक्त योजना की षर्तें निम्न प्रकार से हैं :–

1. श्रमिक की संस्था में कम से कम एक वर्श की सेवा होनी चाहिए।
2. श्रमिक नयी साईकल खरीदने की सहायता लेने उपरान्त 10 वर्श के अन्तराल के बाद ही दुबारा आवेदन दे सकेगा ।
3. श्रमिक का अधिकतम वेतन 5000 रू0 प्रति मास से अधिक न हो ।
4. श्रमिक द्वारा संबंधित अवधि तक का देय पूर्ण अंषदान बोर्ड को भुगतान किया हुआ हो ।
5. श्रमिक ने संस्था द्वारा साक्षांकित अग्रिम रसीद साथ भेजनी होगी ।

11. <u>श्रमिकों के बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित प्रषिक्षण दिलाने हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे</u> :–

अधिकतर श्रमिकों के बच्चे दसवीं की परीक्षा के बाद या उससे पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तथा कमज़ोर माली हालात के चलते अन्य कार्य धन्धों में लग जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के जो बच्चे हारट्रोन द्वारा संचालित या हारट्रोन से एफीलिएटिड संस्था से अथवा हरियाणा के विष्वविद्यालयों, तकनीकी षिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा एफीलिएटीड कंप्यूटर केन्द्रों से निम्न षॉर्ट–टर्म प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, को निम्न तालिका अनुसार या वास्तविक फीस में से जो भी कम बनता हो वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी :–

क्रम संख्या	प्रशिक्षण की अवधि	वित्तीय सहायता लड़कों के लिए	वित्तीय सहायता लड़कियों के लिए
1.	एक मास से तीन मास तक का प्रषिक्षण	2000 रू0	3000 रू0
2.	तीन मास से ऊपर तथा छः मास तक का प्रषिक्षण	3000 रू0	4500 रू0
3.	छः मास से ऊपर तथा एक वर्श तक का प्रषिक्षण	4000 रू0	6000 रू0
4.	एक वर्श से ऊपर तथा डेढ़ वर्श तक का प्रषिक्षण	5000 रू0	7500 रू0
5.	डेढ़ वर्श से ऊपर तथा 2 वर्श तक का प्रषिक्षण	6000 रू0	9000 रू0

उक्त योजना के लाभ हेतु निम्नलिखित षर्तें निर्धारित हैं :–

1. योजना का लाभ अधिकतम 15000 रू0 तक मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को उपलब्ध करवाया जाएगा ।
2. कंप्यूटर कोर्स संचालन करने वाला संस्थान अपने लैटर हैड पर प्रमाण–पत्र देगा कि प्रार्थी उनके यहां कंप्यूटर प्रषिक्षण प्राप्त कर रहा है तथा केन्द्र की एफीलिएषन से संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा तथा प्रमाण–पत्र में स्पश्ट करेगा कि प्रषिक्षण किस अवधि से किस अवधि तक कुल कितनी अवधि का है ।
3. योजना के लाभ के लिए श्रमिक की सेवावधि दो वर्श हो ।
4. श्रमिक द्वारा संबंधित अवधि तक का देय पूर्ण अंषदान बोर्ड को भुगतान किया हुआ हो ।

5. प्रषिक्षण की फीस की वास्तविक रसीद आवेदन–पत्र के साथ भजनी होगी ।
6. छात्र / छात्रा ने संस्था द्वारा साक्षांकित अग्रिम रसीद साथ भेजनी होगी ।
7. श्रमिक का बच्चा उक्त योजना अथवा छात्रवृत्ति योजना में से एक समय में केवल एक ही योजना का लाभ ले सकेगा ।

12. <u>महिला श्रमिकों तथा पुरूश श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे</u>

उन महिला श्रमिकों तथा पुरूश श्रमिकों की पत्नियों को जो **ई0एस0आई0** के तहत कवर नहीं होते के दो बच्चों तक की प्रसूति पर बोर्ड की तरफ से 5000 रू0 की वित्तीय सहायता प्रति प्रसूति उपलब्ध करवायी जाएगी । उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित षर्तें निम्न प्रकार से हैं :–

1. महिला / पुरूश श्रमिक की संस्था में कम से कम एक वर्श की सेवा हो।
2. महिला / पुरूश श्रमिक द्वारा संबंधित अवधि तक का देय पूर्ण अंषदान बोर्ड को भुगतान किया हुआ हो ।
3. प्रसूति का प्रमाण पत्र देना होगा।
4. महिला / पुरूश श्रमिक का मासिक वेतन 15000 रू0 से अधिक न हो ।
5. संस्था से साक्षांकित अग्रिम रसीद आवेदन–पत्र के साथ भेजनी होगी ।

13. <u>श्रमिक की मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य कियाक्रम हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे</u> :–

श्रमिक की मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य आवष्यक कियाक्रम हेतू मृतक श्रमिक की विधवा पत्नी या आश्रित को 5000 रू0 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी । उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित षर्तें निम्न प्रकार से हैं :–

1. मृतक श्रमिक की सेवा संस्था में मृत्यु के समय कम से कम छः मास होनी आवष्यक है ।
2. विधवा / आश्रित को 5,000 रूपये की साक्षांकित अग्रिम रसीद आवेदन पत्र के साथ भेजनी होगी।
3 नियोक्ता मृतक श्रमिक की मृत्यु होने का प्रमाण–पत्र देगा ।
4. प्रार्थी षपथ–पत्र देगा / देगी कि वह मृतक पर पूर्णरूप से कानूनी तौर पर आश्रित है तथा उसने पहले बोर्ड की उक्त योजना का लाभ नहीं उठाया ।
5. मृतक श्रमिक का मासिक वेतन 15000 रू0 से अधिक न हो ।
6. मृतक श्रमिक का संबंधित अवधि तक का देय पूर्ण अंषदान बोर्ड को भुगतान किया हुआ हो

14. श्रमिकों की लड़कियों के लिए पांचवी कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने बारे :–

हरियाणा राज्य की औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत अधिकतम 5000 रू0 मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों की लड़कियों को पांचवी कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें तथा कापियों आदि के लिए प्रवेष के समय 2000 रू0 की एकमुष्त वित्तिय सहायता केवल तीन लड़कियों तक उपलब्ध करवायी जाएगी । उक्त योजना हेतु निर्धारित षर्तें निम्न प्रकार से हैं :–

1. श्रमिक का वेतन 5000 रू0 प्रति मास से अधिक न हो ।
2. श्रमिक की संस्था में सेवा अवधि दो वर्श की हो ।
3. श्रमिक द्वारा संबंधित अवधि तक का देय पूर्ण अंषदान बोर्ड को भुगतान किया हुआ हो ।
4. श्रमिक को यह षपथ–पत्र देना होगा कि वह हरियाणा सरकार या किसी अन्य एजैन्सी से लड़की की पढ़ाई के लिए वित्तिय सहायता प्राप्त नही कर रहा है।
5. श्रमिक ने लड़की की पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण–पत्र स्कूल के प्रिंसीपल/हैडमास्टर से स्कूल के लैटर पैड पर बनवाकर देना होगा ।
6. लड़की ने संस्था से साक्षांकित अग्रिम रसीद साथ भेजनी होगी ।

15. श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर के अर्न्तगत वित्तीय सहायता देने बारे :–

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों को डैन्टल केयर योजना अलग से षीर्शक के अंतर्गत संचालित की गई है जिसके अंतर्गत डैन्टल केयर हेतु 1200 रू0 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी। उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित षर्ते निम्न प्रकार से :–

1. श्रमिक डाक्टर की च्तमेबतपचजपवद तथा दवाई खरीदने का बिल अपने कलेम के साथ प्रस्तुत करेगा।
2. श्रमिक की संस्था में सेवा अवधि कम से कम एक वर्श हो।
3. आवेदन डैटंल केयर के तीन मास तक प्रस्तुत करना होगा ।
4. श्रमिक द्वारा संबंधित अवधि तक का देय पूर्ण अंषदान बोर्ड को भुगतान किया हुआ हो ।
5. श्रमिक ने संस्था द्वारा साक्षांकित अग्रिम रसीद देनी होगी ।
6. श्रमिक यह षपथ–पत्र भी देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नही लिया।

16. किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिकों को कृत्रिम अंगों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे

हरियाणा राज्य की औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत ऐसे श्रमिकों का जो ई0 एस0 आई0 मे कवर न होती हो को महत्तवपूर्ण अंगों के गवा देने पर कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय सहायता सकेत हस्पताल चण्डीमन्दिर (पंचकूला) द्वारा निर्धारित दरों तक हो दी जाएगी । योजना हेतु निर्धारित षर्ते निम्न प्रकार से हैं :–

1. श्रमिक की संस्था में सेवाविध कम से कम एक वर्श हो।
2. श्रमिक डाक्टर की च्तमेबतपचजपवद तथा कृत्रिम अंग खरीदने का बिल अपने क्लेम के साथ प्रस्तुत करेगा।
3. श्रमिक का वेतन 15000 रू0 प्रति मास से अधिक न हो ।
4. श्रमिक द्वारा संबंधित अवधि तक का देय पूर्ण अंषदान बोर्ड को भुगतान किया हुआ हो ।
5. श्रमिक ने संस्था द्वारा साक्षांकित अग्रिम रसीद साथ भेजनी होगी ।

17. किसी भी कारण से अपनी श्रवण षक्ति खो चुके श्रमिकों को श्रवण मषीन या ीमंतपदह ंपके हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे :–

हरियाणा राज्य की औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत ऐसे श्रमिकों जो ई0 एस0 आई0 के तहत कवर न होते हों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण षक्ति खो चुके श्रमिकों को श्रवण मषीन या ीमंतपदह ंपके खरीदने हेतु वित्तीय सहायता क्नउइ – कमंि ेवबपमजल द्वारा निर्धारित दरों तक उपलब्ध करवायी जाएगी । उक्त योजना हेतु निर्धारित षर्ते निम्न प्रकार से हैं :–

1. श्रमिक की संस्था में सेवाविध कम से कम एक वर्श हो।
2. श्रमिक डाक्टर की च्तमेबतपचजपवद तथा श्रवण मषीन या ीमंतपदह ंपके खरीदने का बिल अपने कलेम के साथ प्रस्तुत करेगा।
3. श्रमिक का वेतन 15000 रू0 प्रति मास से अधिक न हो ।
4. श्रमिक द्वारा संबंधित अवधि तक का देय पूर्ण अंषदान बोर्ड को भुगतान किया हुआ हो ।

18. अपंग श्रमिकों को ज्तल ब्लबसम उपलब्ध करवाने बारे :–

हरियाणा राज्य की औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी टांगे गवांने पर ज्तल ब्लबसम उपलब्ध करवाने हेतु पूर्ण लागत मूल्य श्रमिक को उपलब्ध करवाया जाएगा । उक्त योजना हेतु निर्धारित षर्ते निम्न प्रकार से हैं :–

1. श्रमिक की संस्था में सेवाविध कम से कम एक वर्श हो।
2. श्रमिक ज्तल बलबसम खरीदने का बिल अपने क्लेम के साथ प्रस्तुत करेगा।
3. श्रमिक का वेतन 15000 रू0 प्रति मास से अधिक न हो ।
4. श्रमिक लेबर वैलफेयर फण्ड का सदस्य हो तथा अपनी ज्वाईनिंग तिथि से अथवा 1–1–2002 (जो भी बाद में हो) से अंषदान जमा करवा रहा हो।

:–:–: